संख्या-20/2016/833/43-1-2016/14(79)08 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 नन्द लाल,
संयुक्त सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 सूचना आयोग,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2016

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मा0 सूचना आयुक्तगण को वाहन भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-809/43-1-2011, दिनांक 04 अप्रैल, 2011 द्वारा उ0प्र0 सूचना आयोग में कार्यरत सूचना आयुक्तों को स्थानीय यात्राओं हेतु प्रतिमाह अधिकतम 120 लीटर पेट्रोल की सीमा निर्धारित की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेट्रोल की उक्त सीमा को तात्कालिक प्रभाव से संशोधित करते हुए उ0प्र0 सूचना आयोग में कार्यरत मा0 सूचना आयुक्तगण को प्रतिमाह 150 लीटर फयूल या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की सीमा निर्धारित की जाती है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 04 अप्रैल, 2011 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-209/दस-2016, दिनांक 08 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 को मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5- लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

आज्ञा से,
लुटावन राम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in